

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-330) अलेसे-1/

दिनांक:- 30-10-2015

कार्यालय आदेश

श्री बसंत कुमार व्यास, पुत्र श्री शंकर लाल व्यास, (लिंग नं. 1306) (जन्म तिथि 28.02.1958) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय- अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत्त-बीकानेर का दिनांक 05.10.2015 को निधन हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 05.10.2015 को मध्याह्न पश्चात् से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बसंत कुमार व्यास, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-330) अलेसे-1/ 4846-9851

दिनांक:- 30-10-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत्त बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।
4. श्रीमती पत्नी स्व० श्री बसंत कुमार व्यास, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I, डी-263, मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आप स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य को राजकीय सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलवाना चाहती हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत्त बीकानेर के माध्यम से अविलम्ब भिजवावें।
5. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक, एसीपी (कम्प्यूटर शाखा) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।


(क.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)